न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2025-8RAAJodhpur2025-04RTA225 Ravindrasingh Vs Prithavisingh etc

रविन्द्र पुत्र श्री बंशीलाल जी जाति माली, निवासी- भाटी निवास, जालोरियों का बास, जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. पृथ्वीसिंह उर्फ धनराज भाटी पुत्र स्व. श्री बंशीलाल जी, निवासी- प्लॉट नंबर 09 बंशी विहार कॉलोनी गोकुल जी की प्याउ, लालसागर, जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 08 नवंबर 2024 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या ए/168/2024 पृथ्वीसिंह बनाम रविन्द्र सिंह इत्यादि

उपस्थित-
श्री हरिसिंह कच्छवाह, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री जोगसिंह भाटी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 05 फरवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या ए/168/2024 पृथ्वीसिंह बनाम रविन्द्र सिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 08 नवंबर 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 03 जनवरी 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पाडेंट संख्या एक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भूमि का उपयोग गैर कृषि कार्य हेतू किया जा रहा है। इसलिए विवादित भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में सिवाय चक दर्ज की जावे। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा उक्त आवेदन के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदन के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये पूर्व में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा को निरंतर जारी रखा गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि धारा 177 के तहत कार्यवाही किये जाने का अधिकार विधि अनुसार मात्र भूमिधारी को ही तथा स्वीकृत रूप से वादी जो कि अपने आप काश्तकार बताकर वाद पेश किया गया है, किसी भी प्रकार से पोषणीय नहीं है। इसके बावजूद भी वादी के द्वारा इस आशय का वाद पूर्व में भी पेश किया जा चुका है, जिसके साथ सलग्न धारा 212 का प्रार्थना पत्र खारीज किया जा चुका है। वादी के द्वारा उन्ही तथ्यों के आधार पर नया वाद पेश किया गया है जो किसी भी प्रकार से पोषणीय नहीं है तथा इस बाबत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा वाद कि पोषणीयता के लिए निर्णय पारित किये जाने हेतु माननीय न्यायालय को निर्देशित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली माननीय न्यायालय को न भिजवाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो विधिविरुद्ध होने से अपास्त योग्य है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में धारा 177 के आवेदन की पोषणीयता का निर्णय माननीय न्यायालय को करना है तो विचारण न्यायालय को अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा जब आदेश स्थगन आदेश दिनाक 22.08.2024 को निरस्त किया जा चुका था तो उसी स्थगन आदेश को पुन बहाल किये जाने का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आदेश जो दिनाक 8.11.2024 को पारित किया गया है यह आदेश मनमाना, बिना क्षेत्राधिकरीता के पारित किया गया है, जिसे निरस्त किया जाना हर तरह से कानूनी है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनाक 04.07.2024 की आदेशिका के अनुसार अप्रार्थी को नोटिस पंजीबद्ध डाक से भिजवाये जाने चाहिए थे, लेकिन वादी के द्वारा दिनाक 18.07.2024 तक किसी प्रकार से आदेश दिनांक 04.07.2024 की पालना नहीं कि गई तथा दिनांक 22.07.2024, 08.08.2024, 21.08.2024 को भी आदेश कि पालना नहीं कि गई, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अंतिम अवसर दिया गया है इसके बावजूद भी पालना नहीं किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनाक 22.08.2024 को दिनाक 04.07.2024 के आदेश कि पालना नही किये जाने के कारण स्थगन आदेश को निरस्त कर दिया गया था। यहां यह उल्लेखनीय है कि आदेश केवल आगामी पेशी तक के लिए दिया गया था, जिसे कभी भी आगे नहीं बढ़ाया गया है तथा दिनांक 07.11.2024 को स्थगन आदेश की सुनवाई हेतु प्रकरण को नियत किया गया था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्राथी को सुनवाई को अवसर दिये बिना ही आदेश दिनांक 22.08.2024 को निरस्त कर दिया गया है, जिसका एतराज किये जाने पर तथा प्रकरण को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय को भिजवाये जाने के बाबत निवेदन किये जाने पर तथा दिनाक 11.11.2024 को प्रार्थना पत्र तथा प्रकरण भिजवाये जाने की मिसल की प्रति पेश किये जाने के बाद भी अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनाक 08.11.2024 की आदेशिका में पुनश्च करते हुए आदेश दिनाक 22.08.2024 को निष्प्रभावी किये जाने को डिलीट कर दिया गया है तथा दिनांक 06.12.2024 तक प्रकरण को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी को नहीं भिजवाया तथा राजस्व अपील प्राधिकारी से फोन से सूचना दिये जाने के बाद भी नहीं भिजवाया तो अप्रार्थी के द्वारा नकल आदेशिका कि मांग की तो जानकारी में आया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण को नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भिजवाकर प्रकरण में दिनाक 08.11.2024 को ही पुनः आदेश पारित करते हुए दिनाक 22.08.2024 की आदेशिका में निरस्त किये गये स्थगन आदेश को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन स्थगन आदेश को आगे किसी भी प्रकार से प्रभावी नहीं गया है। स्थगन आदेश के बाबत कोई आदेश नहीं होते हुए भी प्रार्थी/रेस्पो. के द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका पेश कि गई है जिसमे दिनाक 17.12.2024 को आदेश पारित करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में नोट दर्ज करवाया गया है तथा हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट मांगे जाने पर पटवारी दिनांक 31.12.2024 को मौके पर आने से अवमानना याचिका की जानकारी अपीलांट को प्राप्त हुई। जानकारी होते ही अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश की प्रति लेने पर पता चला कि विचारण न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश को आगे नहीं बढाया है, फिर भी रेस्पोडेंट अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट की जायदाद में न्यूसेंस उत्पन्न कर रहा है, जिसका रेस्पोडेंट को कोई अधिकार नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि सिविल कोर्ट में रेस्पोडेंट संख्या एक के पुत्र की ओर से वादग्रस्त आराजी के संबंध में धारा 151 सीपीसी के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया जो सिविल न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन को खारिज किया गया) ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किया गया आदेश जो कि बिना क्षेत्राधिकारीता के मनमाने रूप से तैयार किया गया है को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किया जाना हर तरह से कानूनी है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.11.2024 को निरस्त किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर अकृषि कार्य किया जा रहा है जो पटवारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हल्का की रिपोर्ट एवं तहसीलदार जोधपुर के पत्र से साबित है। विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी को संरक्षित करने के लिए आदेश दिनांक 04.07.2024 के जरिये वादग्रस्त आराजी के संबंध में मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 39 की पालना नहीं किये जाने पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को आदेश दिनांक 08.11.2024 के जरिये वैकेट कर दिया गया। रेस्पोडेंट्स द्वारा आदेश 39 की पालना कर दिये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये पूर्व पारित अस्थाई निषेधाज्ञा को पुनः बहाल कर दिया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 08.11.2024 में प्रकरण की मेरिट पर किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट्स द्वारा मामले के गुणावगुण पर कोई कथन किये गये थे। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। अपीलांट रेस्पोडेंट संख्या एक को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। अपीलांट द्वारा कृषि भूमि पर अकृषि कार्य किया जा रहा है। अपीलांट स्वयं द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी पर मैसिज गार्डन चलाया जा रहा है जो व्यवसाय की श्रेणी में आता है। नियमानुसार कृषि भूमि का गैर कृषि कार्य हेतु उपयोग से पूर्व भूमि का संपरिवर्तन करवाना अनिवार्य है। रेस्पोडेंट जागरूक नागरिक होने से उसके द्वारा धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर आवेदन के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखे जाने का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व पारित अस्थाई निषेधाज्ञा को अपीलाधीन आदेश के जरिये बहाल कर वादग्रस्त आराजी के संबंध में राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये गये है।

पत्रावली पर उपलब्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रीट पिटीशन संख्या 12983/2024 अनवान रविन्द्रसिंह बनाम पृथ्वीसिंह में पारित आदेश दिनांक 03.09.2024 के मुताबिक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश के जरिये अदालत हाजा को मामले की पोषणीयता के बिंदु को निर्धारित करते हुए मामले का विधिनुसार निस्तारण करने के निर्देश दिये गये है।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशो की पालना में सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना है कि ''**क्या वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।**'' इस संबंध में धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारित है कि ''**हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखलीः- भूमिधारी के आवेदन-पत्र पर आसामी को अपने भूमि-क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा।** धारा 177 में स्पष्ट प्रावधान है कि उक्त धारा के तहत आवेदन प्रस्तुत का दायित्व/अधिकार केवल भूमिधारी तहसीलदार को ही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से पोषणीय नहीं है।

जहां तक रेस्पोडेंट्स का उज्र है कि अपीलांट द्वारा कृषि भूमि में अकृषि कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में रेस्पोडेंट संख्या दो विधिनुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा वाद की पोषणीयता के बिंदु पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किये जाने से अपीलाधीन आदेश अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08 नवंबर 2024 निरस्त किया जाता है तथ प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर